

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2880] No. 2880] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2017/आश्विन 20, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2017/ASVINA 20, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2017

का.आ.3295(अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 को, उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा.सं. 6/6/2014-बी.आई.एस. (पार्ट ।।।)]

पी.वी.रामा शास्त्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2017

S.O.3295(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby appoints the 12th day of October, 2017 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No.6/6/2014-BIS (Pt.III)]

P.V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.

6173 GI/2017